मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59,द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड हेतु

संयुक्त आयुक्त (वित्त/लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

(2)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59,द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 8626 भोपाल दिनांक 06/09/2012

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय हेतु निविदा के साथ संलग्न निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नलिखित कर्मियों की सेवाये उपलब्ध कराने हेतु मुहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित संख्या	वांछित शैक्षणिक/ योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1	कुशल एवं अनुभवी डाटा एंट्री ऑपरेटर	10	कम्प्यूटर में एम.एस.ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल)
2	वाहन चालक	05	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालक का वैध कॉमर्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	(कुशल)
3	भृत्य	35	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालयीन कार्यो में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)
4	सुरक्षा गार्ड	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यो की सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)

1. निविदा प्रपत्र का मूल्यः- रू. 10000/-(रूपये दस हजार मात्र)
2. निविदा संबंधित समस्यों के निवारण हेतु प्री-बिड बैठकः-दिनांक 10/09/2012 अपरांह 3.00 बजे स्थान पर्यावास
3. निविदा फार्म प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथिः- दिनांक 20/09/2012 सायं 05:00 बजे तक
4. निविदा प्रांरूप में निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकारों की वांछित अर्हताओं सम्बन्धी जानकारी एवं अन्य शर्ते दी गई है। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में परिषद मुख्यालय कार्यालय से दिनांक 20/09/2012 सांय 05:00 बजे तक रू. 10000/-का डिमान्ड ड्राफ्ट (जो म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल को देय हो) के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।
5. प्राप्त निविदा लिफाफे दिनांक 20/09/2012 को सायं 5.30 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएगें।

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(डी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

...peon\Out Sourcing Tender NREGA\MGNREGA\Tender nregs- july 2012.doc

कार्यालय-आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल

मासिक दर पर कम्प्यूटर आपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा–प्रपत्र का मूल्य एवं बिक्री :–

1.1. निविदा प्रपत्र कार्यालय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल से दिनांक 20.09.12 सांय 5:00 बजे तक रू. 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को देय हो, के माध्यम से भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।

1.2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित वांछित दस्तावेजों की सुस्पष्ट/पठनीय प्रमाणित छायाप्रतियां क्रमबद्ध संलग्न करना अनिवार्य है :–

i संस्था "फर्म" होने पर पंजीयक फर्म एवं सोसायटी एवं कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा जारी वैध पंजीयन।

ii प्रोपराईटरशिप का प्रमाण –पत्र।

iii कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न अथवा क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण--पत्र।

iv कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म–6A अथवा 3A में अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले वर्ष जमा राशि का प्रमाण–पत्र।

v श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा जारी वैध एवं उपयुक्त लेबर लाईसेंस।

vi स्थायी आयकर नं0 (PAN) तथा पिछले वर्ष प्रस्तुत रिटर्न अथवा टेक्स क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

vii सर्विस टेक्स का पंजीयन (15 डिजिट वाला कोड नं.) तथा पिछले वर्ष प्रस्तुत रिटर्न अथवा सेंट्रल एक्साईज विभाग द्वारा जारी टेक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र।

viii उक्त दस्तावेजों क्र. (i) से (vii) के दस्तावेजों के सत्यता/वैधता के संबंध में फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्तांतरित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि उक्त दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं सही है।

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

1.3 आवश्यक अर्हतायें :-

i. निविदत्त कार्य के समान कार्य संपादन/सेवा प्रदाय का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र।

ii. भागीदारी संस्था होने पर भागीदारी प्रपत्र का वैध पंजीयन।

iii कम से कम 25 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 10 ड्राईवर एवं 20 भृत्य/सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने की क्षमता हेतु आधार संबंधी दस्तावेज।

iv संस्था का पिछले वर्ष का टर्न ओवर कम से कम रू. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रू.) से अधिक का होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण-पत्र हेतु पिछले वर्ष की Profit & Loss Account सहित बेलेंस शीट की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी।

v कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ कम्पनीज का वैध पंजीयन।

vi किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिए।

अर्हता संबंधी दस्तावेज कम्पनीज अथवा संस्था के प्रकरण में कम्पनीज अथवा संस्था के नाम से व्यक्ति/भागीदार होने पर उसके नाम से ही मान्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अर्हता संबंधी दस्तावेज मान्य अथवा अमान्य किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. धरोहर राशि :-

2.1. निविदा के साथ रू. 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) राशि की डी.डी. जो भोपाल की स्थानीय एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से जिसकी वैधता एक वर्ष से अधिक हो, म.प्र.राज्य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल के पक्ष में देय हो कंडिका 1.2 में उल्लेखित अर्हता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ निविदा प्रस्तुत करने की विधि के अनुसार एक पृथक लिफाफे में जमा कराना आवश्यक होगा।

2.2. द्वितीय न्यूनतम दरों की निविदा को छोड़कर अन्य असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी, द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि प्रथम न्यूनतम दर की निविदा के निविदाकार से अनुबंध कार्यादेश होने के एक माह के उपरांत वापस की जावेगी।

D:\Data 2012\Vahan - peon\Out Sourcing\Tender NREGA\MGNREGA\Tender ...doc3

JOINT COMMISSIONER ... M.P. RAJYA ROZGAR GUARANTEE PARISHAD BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

2.3. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति की सूचना के **15 दिवस** की अवधि में अनुबंध करना आवश्यक होगा, निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने की दशा में निविदा निरस्त कर धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा । निविदाकार द्वारा आवश्यक संख्या में वॉछित कर्मियों को उपलब्ध न कराने की स्थिति मे अन्य ऐजेंसी से विभाग द्वारा स्वीकृत दर में कर्मचारी लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

3. निविदा निम्नानुसार डाली जावे :–

3.1. **लिफाफा "अ" तकनीकी निविदा–** इस लिफाफे में धरोहर राशि की डी.डी. संलग्न कर अर्हता संबंधी दस्तावेज रखे जाएंगे।

लिफाफा "ब"वित्तीय निविदा– इसमें वित्तीय आफर (दर सूची) रखी जाएगी।उक्त दोनों "अ"एवं "ब"दोनों अलग लिफाफे में जिसपर "कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने संबंधी निविदा"लिखा हो में सील बंद कर निविदा बॉक्स में डालना होगा।

3.2. निविदायें दिनांक **20**.09.2012 को सायं 5.00 बजे तक म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के हाल में प्राप्त की जायेंगी एवं लिफाफा "अ" दिनांक **20**.09.2012 को ही 5.30 बजे निविदाकारों अथवा अधिकृत प्रतिनिधियो(जो कि उपस्थित रहना चाहे) के समक्ष खोली जायेगी। प्रथमतः लिफाफा "अ" खोलकर जांच की जायेगी। डी.डी. एवं वांछित दस्तावेजों के पूर्ण होने पर ही लिफाफा "ब" खोला जायेगा। **अनावश्यक, अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज कदापि न लगाएं जाएं।**

3.3. निविदा अर्हता निर्धारण होने के पश्चात् अर्हतापूर्ण करने वाले निविदाकारों की दर सूची वाला लिफाफा "ब"दिनांक 21.09.2012 को अपरान्ह 3:00 बजे फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (जो कि उपस्थित रहना चाहें) खोला जायेगा।

3.4. लिफाफा "अ"अर्थात् तकनीकी निविदा भरते समय संबंधित दस्तावेज पेजिंग कर दर्शित कम में ही सत्यापित कर संलग्न करें। वित्तीय दर भरते समय मात्र सर्विस चार्ज प्रतिशत में ही भरा जाये।

3.5. केवल उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाऐगी जो संस्था के स्वामी, या पार्टनर या वैध प्रतिनिधि हो अन्यथा निविदा निरस्त की जाएगी।

3.6. निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराना होगी।

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रो... ...परिषद

4. <u>निष्पादन सुरक्षा जमा :–</u>

4.1. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध के समय निविदाकार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड की मासिक दर के बराबर प्रति कर्मी की दर से निष्पादन सुरक्षा राशि (परफारमेन्स सिक्यूरिटी) डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। जिसकी वैधता एक वर्ष से अधिक होना आवश्यक हैं।

4.2. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध के समय निविदाकार को निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 दिवस की अवधि में वांछित संख्या से 1.5 गुना संख्या में प्रत्याशियों के बायोडाटा एवं अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम निविदा के निविदाकार को अवसर प्रदान किया जावेगा।

4.3. निष्पादन सुरक्षा जमा एवं धरोहर राशि संपूर्ण निविदा अवधि के लिए विभाग के पास जमा रहेगी। इसे सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात् कर्मियों के वेतन, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. के भुगतान सम्बन्धी विवादों (यदि कोई हो) के निराकरण एवं शासकीय करों एवं वसूली के निराकरण होने के उपरांत निविदाकार को वापस की जावेगी।

4.4. निर्धारित परफारमेन्स सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने की स्थिति में अनुबंध नहीं किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

5. <u>अनुबंध की अवधि :–</u>

5.1. अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो की सहमति से यह अवधि अधिकतम एक और वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

5.2. निविदाकार द्वारा अनुबंध की शर्तो, समय–समय पर जारी होने वाले शासकीय नियमों, श्रमिक अधिनियमों एवं कर प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंधन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त कारणों से अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में विभाग के पास जमा समस्त राशि राजसात कर ली जायेगी । परन्तु निविदाकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा ।

5.3. <u>परिषद् को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये भी एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।</u>

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(डी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

6. **निविदाकार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहनचालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड से संबंधित निम्नलिखित सामान्य शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा :–**

6.1. कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। कलेक्टर दर में समय–समय पर होने वाले पुनरीक्षण के अनुरूप देय तिथि से बढी हुई दरों का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही ई.पी.एफ/ई.एस.आई.सर्विस टैक्स का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

6.2. निविदत्त सर्विस चार्ज के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की राशि का भुगतान नही किया जायेगा। शासन के नियमों के तहत करों की कटौती के अतिरिक्त शेष समस्त करों एवं देयताओं का समय पर भुगतान करने का दायित्व निविदाकार का होगा। निविदादाता द्वारा संबंधित विभाग में (ई.पी.एफ/ई.एस.आई.सर्विस टैक्स) जमा करने का प्रमाण (विभाग से सत्यापित) प्राप्त कर अगले माह के भुगतान के पूर्व परिषद् में जमा करना होगा।

6.3. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् कार्यालय में नियोजित कर्मचारियों का निर्धारित भुगतान ठेकेदार द्वारा (ई–पेमेन्ट) के माध्यम से सीधे संबंधित कर्मी के बैंक खाते में करना होगा। भुगतान की प्रमाणित सूची ठेकेदार को अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मी के बैंक खाते में भुगतान जमा न करने एवं सत्यापित सूची उपलब्ध न कराने कि स्थिति में अगले माह के बिल का भुगतान परिषद द्वारा रोक दिया जायेगा जिसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

6.4. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहनचालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड की निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व कर्मियो के आवश्यक दस्तोवजों की छायाप्रतियां मूल दस्तोवजों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। परन्तु कार्य का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा शैक्षणिक अर्हता में छूट प्रदान की जा सकेगी। अभ्यर्थी की उपयुक्तता एवं वेतन के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) का निर्णय अंतिम होगा।

6.5. कार्य पर रखे जाने के उपरांत कार्य क्षमता में कमी पाये जाने पर कर्मी को तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया जावेगा।

D:\Data 2012\Vaibhav_ pcon\Out Sourcing\Tender NREGA\MGNREGA\Tender nregs- july 2012.doc6

JOINT COMMISSIONER
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(वी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

(8)

6.6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग, एम.एस. ऑफिस,वर्ड,एक्सल,पावर पांइट प्रस्तुतिकरण, इंटरनेट, ई–मेल इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। वाहन चालक के पास वैध कामर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है।

6.7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / वाहन चालक / भृत्य को किसी भी दिन अर्थात् अवकाश / कार्य दिवस में बुलाया जा सकता है, जिस अधिकारी के अधीन उनकी सेवायें दी जावेंगी, उसके सम्पूर्ण निर्देशों / आदेशों का पालन उनको करना होगा।

6.8. किसी भी दिवस में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / वाहन चालक / भृत्य / सुरक्षाकर्मी की अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्ति को भेजकर कार्य करवाना होगा। किन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई दूसरा व्यक्ति नही भेजा गया तो जो भी कार्य बाजार से कराया जावेगा, उसका व्यय निविदाकर से वसूल किया जावेगा।

6.9. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे एवं उसकी सुरक्षा एवं रख–रखाव का संपूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा।

6.10. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्पयूटर सुधार संबंधी प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है।

6.11. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शासकीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई निजी कार्य कार्यालयीन कम्प्यूटर पर नहीं कर सकेंगे।

6.12. यदि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / वाहन चालक का व्यवहारिक ज्ञान, कार्य क्षमता, संबंधित जानकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा उचित नहीं पाई जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

6.13.

(1) निविदाकार को गत माह का देयक अगले माह की 01 तारीख तक कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि, इस पर शासकीय प्रावधानों / निर्धारित दरों पर EPF, ESIC के मद में प्रमुख नियोक्ता द्वारा देय राशि को पृथक से दर्शाना होगा। नियमानुसार देय सर्विस टैक्स की राशि भी देयक में पृथक से दर्शाई जाए। उक्त देयक आवश्यक जॉचोपरान्त पारित कर शीघ्र निविदाकार को भुगतान की जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / वाहन चालक / भृत्य / सुरक्षाकर्मी को समय पर एवं समुचित भुगतान करने संबंधी समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी। निविदाकार को समस्त कर्मियों का वेतन प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से कर्मियों के वेतन भुगतान में विलम्ब नहीं किया जायेगा। कर्मियों के वेतन भुगतान में से

(वी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना की राशि नियमानुसार निविदाकार द्वारा काटी जाकर तथा निविदाकार को अपने भाग की राशि के साथ संबंधित विभाग में जमा करना निविदाकार का अनिवार्य दायित्व होगा।

ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. सर्विस टैक्स की जमा राशि की पुष्टि हेतु संबंधित विभाग की पावती की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियुक्तिकर्ता (निविदाकार) का भाग कर्मियों के वेतन से नहीं काटा जायेगा। विभाग द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने अथवा किसी भी अन्य कारण से निविदाकार को भुगतान करने में विलम्ब होने पर भी कर्मियों को उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व भुगतान करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी। निर्धारित तिथि के पूर्व भुगतान नही होने की स्थिति मे विलम्बित अवधि के लिये रूपये 100.00 प्रति कर्मी के प्रतिदिवस के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/ भृत्य/सुरक्षा गार्ड के भुगतान के संबंध में कोई व्यक्तिगत दावा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6.14. निविदाकार को भुगतान, संबंधित अधिकारी से कार्य दिवस की पुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा। कार्य दिवस से तात्पर्य कार्यालयीन समय से माना जावेगा।

6.15. दैनिक भुगतान की मासिक दर को संबंधित माह के दिनों से विभाजित कर निकाली जावेगी।

6.16. अनुबंध की समाप्ति उपरांत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड का कोई भी दावा विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। परंतु किसी विवाद अथवा शासकीय देय कर, करों की देय राशि शेष रहने पर निविदाकार की धरोहर राशि एवं निष्पादन सुरक्षा जमा राशि वापिस नहीं की जायेगी।

6.17. शासकीय कार्य के दौरान शासकीय दस्तावेंजो की गोपनीयता बनाये रखना डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी होगी इस आशय का वचन पत्र देना होगा।

6.18. न्यूनतम निविदाकार से जिन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/को कार्य पर लिया जावेगा। उन्हें एक विभागीय अधिकारी एवं एक निविदाकार/अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में साक्षात्कार/इंटरव्यू देना होगा एवं सफल उम्मीदवार को ही न्यूनतम निविदाकार की दर पर लिया जावेगा।

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल (म.प्र.)

6.19. कुशल अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड जिसको शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कार्यालय या शासन के उपक्रम के कार्यालय में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना वांछित है । डाटा एन्ट्री आपरेटर को कलेक्टर दर पर प्रतिमाह तथा अन्य श्रेणियों में किसी भी कर्मी को कलेक्टर रेट से कम का भुगतान निविदाकार द्वारा नहीं किया जावेगा, यदि कम भुगतान करना पाया गया तो, बगैर सूचना के संस्था का अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि एवं अन्य समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार को हर माह म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान के वाऊचर की प्रति तथा EPF–ESIC सर्विस टैक्स राशि के जमा करने के बैंक चालान की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी तथा चालान के पीछे कर्मियों की सूची अकाउंट नं. सहित प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा उसके उपरांत ही आगामी माह के देयक का भुगतान किया जावेगा। साथ ही काटी गई राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार प्रत्येक माह कर्मी को उसके वेतन एवं वेतन से काटी गई राशि से अवगत करायेगा।

6.20. यदि एक से अधिक निविदाकारों की समान दरें पाई जाती है तो उस स्थिति में अधिक कार्य अनुभव वाले निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में परिषद द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

6.21. अनुबंध के साथ संलग्न विशेष शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।

7. <u>कर शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :–</u>

7.1. शर्त क्रमांक 6.3 एवं 6.10 की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल करनी होगी अन्यथा रूपये 500/- की राशि प्रतिदिन, प्रतिकर्मी के हिसाब से बतौर दण्ड राशि (पेनाल्टी) वसूल की जावेगी।

7.2. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7.3. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि फर्म को वापस नहीं की जावेगी।

7.4. परिषद की आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल

(शैलेन्द्र खरे)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

JOINT COMMISSIONER (F & P)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

विशेष शर्ते

1. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड के पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि प्रतिमाह बैंक में पृथक चालान से जमा कर बैंक चालान से संबंधित कर्मचारियों की सूची, पी.एफ. एकाउण्ट नम्बर बैंक चालान की प्रति के साथ ठेकेदार को अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. ठेकेदार को नियमानुसार पी.एफ. कार्यालय से ई.पी.एफ. रिटर्न फार्म प्राप्त कर पूर्ण जानकारी के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. ठेकेदार को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित कर्मचारियों के पी.एफ. कार्यालय द्वारा आवंटित पी.एफ. खाता क्रमांक से संबंधित कर्मचारी एवं इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

4. ठेकेदार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड की सूची के अनुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि जमा कर सूची का सत्यापन संबंधित विभाग (P.F./ESI) से करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

5. अनुबंध उपरांत ठेकेदार को अनुबंध के अन्तर्गत नियुक्त किए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड के नाम से पी.एफ. खाता पी.एफ. कार्यालय से एक माह की समयावधि में आवंटित करवाकर उसकी सत्यप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

6. ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा भुगतान की गई राशि पर नियमानुसार भुगतान किये गये सर्विस टैक्स को सर्विस टैक्स मद से जमा करने के चालान की प्रति अगले माह के बिल के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अगले माह का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

7. ठेकेदार को पूर्व वर्ष का सर्विस टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि कार्यपालिका
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

लिफाफा "अ" में रखा जाने वाला विस्तृत विवरण—तकनीकी निविदा

(पृष्ठ संख्या अंकित की जाये)

क्र.	विवरण	
1.	संस्था का नाम	:
2.	संस्था का पता	:
3.	संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर / पार्टनर शिप / एन.जी.ओ. / या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करें)	:
4.	संस्था प्रमुख का नाम	:
5.	संस्था के रजिस्ट्रार / सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी म.प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति प्रति।	:
6.	कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न (2011–12) अथवा क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण–पत्र।	:
7.	कर्मचारी निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म 6–ए अथवा फार्म 3–ए अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले वर्ष (2011–12) की जमा राशि का प्रमाण–पत्र।	:
8.	श्रमायुक्त, श्रम उपायुक्त, सहायक आयुक्त अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैद्य लेबर लायसेंस।	:
9.	परमानेंट इन्कम टेक्स (पैन नं0) होना आवश्यक है। पिछले वर्ष (2011–12) की विवरणी अथवा टैक्स क्लीयरेंस का प्रमाण–पत्र।	:
10.	सर्विस टेक्स का पंजीयन (15 डिजिट वाला कोड नम्बर)। पिछले वर्ष (2011–12) की विवरणी अथवा सेन्ट्रल एक्साइज अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स क्लीयरेंस का प्रमाण–पत्र।	:
11.	किसी शासकीय अर्द्धशासकीय अथवा शासन के किसी उपक्रम में निविदत्त कुल तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र।	:
12.	प्रोपाईटरशिप का प्रमाण–पत्र।	:

JOINT COMMISSIONER (F & A)
... ROZGAR GUARANTEE ...
BHOPAL (M.P.)

(डॉ. एम. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

12.1	भागीदारी संस्था होने पर भागीदारी प्रपत्र का वैध पंजीयन एवं रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना है।	: ....
12.2	कंपनी के प्रकरण में मेमोरेंडम ऑफ कम्पनीज के वैध पंजीयन की प्रतिलिपि।	....
13.	कम से कम 25 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 10 वाहन चालक तथा एवं 40 भृत्य/सुरक्षागार्ड प्रदाय करने की क्षमता के संबंध में आधार संबंधी दस्तावेज।	: ....
14.	संस्था के पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2011–12) का टर्न ओवर राशि रू. 1 करोड़ से अधिक होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष की बैलेंस शीट।	: ....

15. शासकीय कार्यालय का विवरण जिसका कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

क्रमांक	विभाग का नाम	विभाग का पता	अनुबंध क्रमांक	दिनांक

16. धरोहर राशि डी.डी. क्र. एवं दिनांक (D.D.संलग्न): 2,00,000/-–(रूपये दो लाख मात्र)
17. बैंक का नाम एवं पता : ....
18. दिनांक : ....
19. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से कभी भी ब्लैक लिस्टेड हुए है: हॉ/नहीं

//घोषणा//

मै/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य हैं। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं देने हेतु हम विधिक रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णतः हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोटः– कृपया अनावश्यक एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमबद्ध संलग्न होना चाहिए।

(डी. एम. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

–: समान कार्य का अनुभव जानकारी पत्र :–

(लिफाफे "अ" में रखा जाये)

क्र	कार्यालय का नाम एवं पता एवं दूरभाष नं.	कब से कब तक कार्य किया	प्रदाय किये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ड्राईवर/प्यून (संख्या पृथक–पृथक बतावें)	कितनी राशि का कार्य किया गया	रिमार्क

नोटः– अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल (म.प्र.)

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

(15)

लिफाफा "ब" में रखा जाने वाली

वित्तीय निविदा

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय ऑफर

स0क्र0	कार्य का विवरण	एजेंसी का सर्विस चार्ज भारित करने का प्रतिशत
1	2	3
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
2	वाहन चालक	
3	भृत्य	
4	सुरक्षा गार्ड	

(डी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

अनुबंध पत्र

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल की ओर से संयुक्त आयुक्त प्रशासन (प्रथम पक्ष) जिसे आगे परिषद के रूप में उल्लेख किया गया है और मे. ....भोपाल की ओर से श्री ....(द्वितीय पक्ष) जिसे आगे निविदाकार कहा गया है के मध्य यह अनुबंध आज दिनांक ....को निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है :–

उक्त अनुबंध के तहत निम्नानुसार कर्मियों की सेवाएँ द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को उपलब्ध करायी जाएंगी।

स. क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित संख्या	वांछित शैक्षणिक / योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1	कुशल एवं अनुभवी डाटा एंट्री ऑपरेटर	10	कम्प्यूटर में एम.एस.ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय / अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल)
2	वाहन चालक	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालक का वैध कॉमर्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय / अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	(कुशल)
3	भृत्य	35	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यों में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता।	–"–	(अकुशल)
4	सुरक्षा गार्ड	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने की क्षमता।	–"–	(अकुशल)

(अ) अनुबंध की अवधि :–

1. अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से **एक वर्ष** की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो की सहमति से यह अवधि अधिकतम एक और वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

(डी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

2. निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित एवं अनुबंध की शर्तो, समय-समय पर जारी होने वाले शासकीय नियमों, श्रमिक अधिनियमों एवं कर प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त कारणों से अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में विभाग के पास जमा समस्त राशि राजसात कर ली जायेगी । परन्तु निविदाकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा ।

3. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा स्वीकृत निविदा के अनुसार द्वितीय पक्ष को वित्तीय निविदा में अंकित सर्विस चार्ज (प्रतिशत में) की राशि सर्विस चार्ज के रूप में भुगतान की जाएगी।

(ब) निष्पादन सुरक्षा जमा राशि (performance security deposit):-

1. अनुबंध के समय वांछित संख्या से 1.5 गुना संख्या में प्रत्याशियों के बायोडाटा एवं अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रस्तुत विवरणों के आधार पर अभ्यर्थी की उपयुक्तता की जांच की जाकर कर्मियों का चयन किया जावेगा। चयन के मामले में परिषद का निर्णय अंतिम एवं निविदाकार को मान्य होगा।

2. निष्पादन सुरक्षा जमा एवं धरोहर राशि संपूर्ण निविदा अवधि के लिए परिषद के पास जमा रहेगी। सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के **छः माह पश्चात् कर्मियों** के वेतन, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. के भुगतान सम्बन्धी विवादों (यदि कोई हो) के निराकरण एवं शासकीय करों एवं वसूली के निराकरण होने के उपरांत निविदाकार को वापस की जावेगी।

(स) निविदाकार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड से संबंधित निम्नलिखित शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा :-

1. निविदत्त दरों पर ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी., एवं सर्विस टैक्स एवं अन्य निर्धारित प्रावधानों अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कर पृथक से देय नहीं होगा। तत्संबंधित संस्थाओं को उक्त कर के समय पर भुगतान करने का दायित्व निविदाकार का होगा

2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड को निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व कर्मियों के आवश्यक दस्तोवजों की छायाप्रतियां मूल दस्तोवजों से सत्यापित कराना

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(डी. एस. पाण्डेय)
उप ... कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

अनिवार्य होगा। परन्तु कार्य का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा शैक्षणिक अर्हता मे छूट प्रदान की जा सकेगी।

3. कार्य पर रखे जाने के उपरांत कार्य क्षमता आचरण एवं व्यवहार में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।

4. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग, एम.एस.ऑफिस–वर्ड, एक्सल, पावर प्वाईन्ट तथा इंटरनेट, ई–मेल इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। ड्राईवर के पास वैध कामर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है।

5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड को किसी भी दिन अर्थात् अवकाश/कार्य दिवस में बुलाया जा सकता है, जिस अधिकारी के अधीन उनकी सेवायें दी जावेंगी, उसके सम्पूर्ण निर्देशों/आदेशों का पालन उनको करना होगा।

6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड की अनुपस्थिति में एजेन्सी द्वारा स्थानापन्न व्यक्ति की सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी। किन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई दूसरा व्यक्ति नही उपलब्ध कराया गया तो जो भी कार्य बाजार से कराया जावेगा, उसका व्यय निविदाकर से वसूल किया जावेगा।

7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे। कर्मी की Mal Handling के फलस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति का संपूर्ण दायित्व संविदाकार का होगा।

8. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर सुधार संबंधी प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है।

9. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शासकीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई निजी कार्य कार्यालयीन कम्प्यूटर पर नहीं कर सकेंगे।

10. यदि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,ड्राईवर का व्यवहारिक ज्ञान, कार्य क्षमता, संबंधित जानकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा समुचित नहीं पाई जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

11. निविदाकार को गत माह का देयक अगले माह की 01 तारीख तक कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि, इस पर शासकीय प्रावधानों/निर्धारित दरों पर EPF, ESIC के मद में एवं अन्य कानूनी मद में नियोक्ता द्वारा देय राशि को पृथक से दर्शाना होगा। नियमानुसार देय सर्विस टैक्स की राशि भी देयक में पृथक से दर्शाई जाए। उक्त देयक आवश्यक जॉचोपरान्त पारित कर शीघ्र निविदाकार को भुगतान की जाने की कार्यवाही की जाएगी।

JOINT COMMISSIONER (E.&A.)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(डी. एस. पाण्डेय)
उप ... कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

12. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ड्राईवर/भृत्य/सुरक्षागार्ड को समय पर एवं निर्धारित भुगतान करने संबंधी समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी। निविदाकार को समस्त कर्मियों का वेतन प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से कर्मियों के वेतन भुगतान में विलम्ब नहीं किया जायेगा। कर्मियों के वेतन भुगतान में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना की राशि नियमानुसार निविदाकार द्वारा काटी जाकर तथा निविदाकार को परिषद के भाग की राशि के साथ संबंधित विभाग में जमा करना निविदाकार का अनिवार्य दायित्व होगा।

13. परिषद को उपलब्ध कराए गए कर्मियों की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. सर्विस टैक्स की जमा राशि की पुष्टि हेतु संबंधित विभाग की पावती की सत्यापित प्रति आगामी माह के बिल के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने अथवा किसी भी अन्य कारण से निविदाकार को वेतन भुगतान करने में विलम्ब होने पर भी कर्मियों को उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व वेतन भुगतान करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात भुगतान नही होने की स्थिति मे विलम्बित अवधि के लिये रूपये 100.00 प्रति कर्मी प्रतिदिवस के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ड्राईवर/भृत्य/सुरक्षाकर्मी के कम/अनियमित/विलंबित भुगतान के संबंध में कोई व्यक्तिगत दावा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

14. निविदाकार को भुगतान, संबंधित अधिकारी से कार्य दिवस की पुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा।

15. दैनिक भुगतान की दर मासिक दर को नियमानुसार माह के दिनों से विभाजित कर निकाली जावेगी।

16. अनुबंध की समाप्ति उपरांत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड का कोई भी दावा विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। परंतु किसी विवाद अथवा शासकीय देय कर, करों की देय राशि शेष रहने पर निविदाकार की धरोहर राशि एवं निष्पादन सुरक्षा जमा राशि वापिस नहीं की जायेगी।

(डी. एस. पाण्डेय)
उप ... कृषि उद्यानिकी
... गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

17. शासकीय कार्य के दौरान शासकीय दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखना डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड की जिम्मेदारी होगी इस आशय का वचन पत्र देना होगा।

18. न्यूनतम निविदाकार से जिन डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड को कार्य पर लिया जावेगा, उन्हें एक विभागीय अधिकारी एवं एक निविदाकार/अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में टाईपिंग टेस्ट/साक्षात्कार देना होगा एवं सफल उम्मीदवार को ही न्यूनतम निविदाकार की दर पर लिया जावेगा।

19. कुशल अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ड्राईवर/भृत्य/सुरक्षागार्ड जिसको शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कार्यालय या शासन के उपक्रम के कार्यालय में 01 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना वांछित है । डाटा एन्ट्री आपरेटर तथा अन्य श्रेणियों में किसी भी कर्मी को कलेक्टर द्वारा निर्धारित रेट (EPF, ESIC काटकर) से कम का भुगतान निविदाकार द्वारा नहीं किया जावेगा, यदि कम भुगतान करना पाया गया तो, बगैर सूचना के संस्था का अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि एवं अन्य समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार को हर माह म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान के वाऊचर की प्रति तथा EPF-ESIC सर्विस टैक्स राशि के जमा करने के बैंक चालान की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी तथा चालान के पीछे कर्मियों की सूची अकाउंट नं. सहित प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा उसके उपरांत ही आगामी माह के देयक का भुगतान किया जावेगा। साथ ही काटी गई राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार प्रत्येक माह कर्मी को उसके वेतन एवं वेतन से काटी गई राशि से अवगत करायेगा।

(द) अनुबंध के साथ निम्नानुसार विशेष शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।

8. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित कर्मचारियों का निर्धारित भुगतान निविदाकार द्वारा ई-पैमेंट (**E-Payment**) के माध्यम से सीधे संबंधित कर्मी के बैंक खाते में करना होगा। भुगतान की प्रमाणित सूची ठेकेदार को अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मी के बैंक खाते में जमा न करने एवं सत्यापित सूची उपलब्ध न कराने की स्थिति में अगले माह के बिल का भुगतान परिषद् द्वारा रोक दिया जायेगा जिसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

(डी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

9. नियमानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड के पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. एवं अन्य कानूनी भुगतान योग्य करों के भुगतान की राशि प्रतिमाह बैंक में पृथक चालान से जमा कर बैंक चालान से संबंधित कर्मचारियों की सूची, पी.एफ. एकाउण्ट नम्बर बैंक चालान की प्रति के साथ निविदाकार को अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकार को नियमानुसार पी.एफ. कार्यालय से ई.पी.एफ. रिटर्न फार्म प्राप्त कर पूर्ण जानकारी के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

11. निविदाकार को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में नियोजित कर्मचारियों के पी.एफ. कार्यालय द्वारा आवंटित पी.एफ. खाता क्रमांक से संबंधित कर्मचारी एवं इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

12. निविदाकार को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षाकर्मी की सूची के अनुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि जमा कर सूची का सत्यापन संबंधित विभाग (EP.F./ESI) से करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

13. अनुबंध उपरांत निविदाकार को अनुबंध के अन्तर्गत नियुक्त किए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षाकर्मी के नाम से पी.एफ. खाता पी.एफ. कार्यालय से एक माह की समयावधि में आवंटित करवाकर उसकी सत्यप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

14. निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा भुगतान की गई राशि पर नियमानुसार भुगतान किये गये सर्विस टैक्स को सर्विस टैक्स मद से जमा करने के चालान की प्रति अगले माह के बिल के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अगले माह का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

15. निविदाकार को पूर्व वर्ष का सर्विस टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

JOINT COMMISSIONER (F & A)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

(इ) कर शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :—

1. शर्त क्रमांक स–3 एवं स–10 में वर्णित परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल करनी होगी अन्यथा रूपये 500/- की राशि प्रतिदिन, प्रतिकर्मी के हिसाब से बतौर दण्ड राशि (पेनाल्टी) वसूल की जावेगी।
2. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
3. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि फर्म को वापस नहीं की जावेगी।
4. परिषद की आवश्यकता अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/सुरक्षागार्ड की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
5. परिषद को अधिकार होगा कि वह बिना कारण दर्शाए भी एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

संलग्न प्रपत्र–"अ" व प्रपत्र–"ब" इस अनुबंध का भाग होंगे।

गवाहः—

1.

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

2.

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
मे. ....

JOINT COMMISSIONER (F)
M.P. RAJYA ROJGAR GURANTEE
PARISHAD, BHOPAL (M.P.)

(बी. एस. पाण्डेय)
उप संचालक कृषि उद्यानिकी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

शैलेन्द्र खरे
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)